The Infinite
An International Peer Reviewed / Refereed Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 2 | February 2025
ISSN: 3048-9539 (Online)
Website: www.theinfinite.in

अश्लीलता एवं सांविधिक उपबन्ध तथा न्यायिक पदयात्रा : एक विवेचन

सत्य प्रकाश राय

शोध छात्र, विधि विभाग

हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

डॉ. ओम शर्मा

सह–आचार्य, विधि विभाग

हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

ARTICLE DETAILS

Research Paper

मुख्य बिंदु–

अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, अश्लीलता, संविधान।

सारांश

सिनेमा को अश्लील होने से रोकने तथा ऐसी कहानियों जिनका असर अपराध विधि में होता है को गौरवान्वित करने वाले लेखों को रोकने के लिए द यंग पर्सन्स (हार्मफुल पब्लिकेशनस् एडवर्टिज्मेंट एक्ट, 1954), द कस्टम्स एक्ट 1962, द प्रिवेंशन आफ पब्लिकेशन आफ आब्जेक्सनेबल एक्ट, 1976 इत्यादि हैं। 1952 का सिनेमेटोग्राफ एक्ट तथा 1983 का सिनेमेटोग्राफ रूल्स भारत सरकार के इस सांविधानिक संस्थान को एक व्यापक अधिकार देता है जो आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक फिल्म की जाँच करे और यह देखे कि ऐसी फिल्में राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के विरुद्ध नही है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में यहाँ अश्लील दृश्यों के प्रदर्शन सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले दृश्यों, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले दृश्यों एवं इसी प्रकार के लेखों एवं पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाने को अनु. 19 खण्ड (2) के अनुसार युक्तियुक्त विवेचन माना है। कहीं अधिकारियों द्वारा मनमानी करने के विरुद्ध भी कदम उठाया है तथा अनेक निर्बन्धनों को अयुक्तियुक्त घोषित कर दिया है।

परिचय

भारत के संविधान के अनु.–19 में युक्तियुक्त निर्बन्धन के अधारों में ''शिष्टाचार या सदाचार'' के मूल्यों को महत्वांकित किया गया है।1 स्पष्टतः यह निर्बन्धन सामाजिक नैतिकता और सदाचार के परिपालन तथा अश्लीलता को रोकने के लिए आवश्यक है। वैयक्तिक अधिकार, जो वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संम्बद्व है तथा नैतिक मूल्यों के बीच सामंजस्य बैठाना सांविधानिक योजना का प्रमुख अंग है क्योकि जहाँ व्यक्ति को अनु.–19 इस संदर्भ में व्यापक व्यक्तिगत

अधिकार देता है, वहीं राज्य का यह कव्य है कि वह नैतिक मूल्यों का संरक्षण करे। अनेक न्यायिक निर्णयों से यह स्पष्ट है कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा किसी भी व्यक्ति, समाज एवं समुदाय को भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख करने का अधिकार नहीं है। बहुत पहले शा बनाम डायेरक्टर आफ पब्लिक प्रासीक्युशन में हाउस आफ लाडर्स ने यह कहा था कि सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट करना या सार्वजनिक शिष्टाचार को ध्वस्त करना एक अलग अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः किसी भी प्रकार का लेख, भाषण अथवा चलचित्र का प्रदर्शन जो शिष्टाचार या सदाचार के विपरित हो उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 से 296 तक इस संदर्भ में विस्तृत विवरण दिया गया है।

धारा 292: अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री आदि।

(1) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, कोई पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, चित्रकारी, रूपांकन, आकृति या कोई अन्य वस्तु अश्लील समझी जाएगी यदि वह कामुक है या कामुक रुचि को आकर्षित करती है या यदि उसका प्रभाव, या (जहां उसमें दो या अधिक भिन्न मदें सम्मिलित हैं) उसकी किसी एक मद का प्रभाव, समग्र रूप से ऐसा है जो किसी व्यक्ति को भ्रष्ट और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है, जो सम्भवतः सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसमें अन्तर्विष्ट या सन्निहित विषय को पढ़ेगा, देखेगा या सुनेगा।

(2) जो कोई–

(क) कोई अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, चित्र, पेंटिंग, चित्रण या आकृति या कोई अन्य अश्लील वस्तु बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी भी तरीके से प्रचलन में लाता है, या बिक्री, किराए पर देने, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन या प्रचलन के प्रयोजनों के लिए बनाता है, उत्पादित करता है या अपने कब्जे में रखता है; या

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए कोई अश्लील वस्तु आयात, निर्यात या परिवहन करेगा, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी वस्तु बेची जाएगी, किराये पर दी जाएगी, वितरित की जाएगी या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी या किसी भी प्रकार से प्रचलन में लाई जाएगी; या

(ग) किसी ऐसे कारोबार में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई अश्लील वस्तु पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए बनाई, उत्पादित, खरीदी, रखी, आयातित, निर्यातित, परिवहन की गई, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई या किसी भी प्रकार से प्रचलन में लाई गई है; या

(घ) किसी भी माध्यम से यह विज्ञापित करता है या ज्ञात कराता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में लगा हुआ है या लगाने के लिए तैयार है जो इस धारा के अंतर्गत अपराध है, या कि ऐसी कोई अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है; या

(ई) कोई ऐसा कार्य करने की पेशकश करता है या प्रयास करता है जो इस धारा के तहत अपराध है,

प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , और दो हजार रुपए तक के जुर्माने से, तथा द्वितीय या पश्चातवर्तीदोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और पांच हजार रुपए तक के जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।

अपवाद– यह धारा निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी–

(क) कोई पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेखन, चित्र, पेंटिंग, चित्रण या आकृति–

(i) जिसका प्रकाशन इस आधार पर लोकहित में उचित सिद्ध हो कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, चित्र, पेंटिंग, रूपांकन या आकृति विज्ञान, साहित्य, शिक्षण कला या अन्य सामान्य सरोकार के उद्देश्यों के हित में है, या

(ii) जो धार्मिक प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक रखा या उपयोग किया जाता है;

(ख) कोई भी चित्रण जो मूर्तिकला, उत्कीर्ण, चित्रित या अन्यथा दर्शाया गया हो–

(i) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अर्थ में कोई प्राचीन स्मारक, या

(ii) किसी मंदिर पर, या मूर्तियों के परिवहन के लिए प्रयुक्त किसी वाहन पर, या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या प्रयुक्त किए गए किसी वाहन पर।,

धारा 292–एः घोर अभद्र या अपमानजनक सामग्री या ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से सामग्री का मुद्रण आदि

जो कोई भी,–

(क) किसी समाचारपत्र, पत्रिका या परिपत्र में छपवाएगा या छपवाएगा, या सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करवाएगा या वितरित करेगा या वितरित करवाएगा या किसी भी तरीके से कोई चित्र या कोई मुद्रित या लिखित दस्तावेज प्रसारित करेगा जो पूरी तरह से अशोभनीय या अपमानजनक है या ब्लैकमेल करने के लिए अभिप्रेत है; या

(ख) कोई चित्र या कोई मुद्रित या लिखित दस्तावेज बेचेगा या किराये पर देगा, या विक्रय या किराये के प्रयोजनों के लिए बनाएगा, उत्पादित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा जो घोर अशोभनीय या अपमानजनक है या ब्लैकमेल करने के लिए अभिप्रेत है; या

(ग) कोई चित्र या कोई मुद्रित या लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता है जो घोर अशिष्ट या अपमानजनक है या ब्लैकमेल करने के लिए है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा चित्र या दस्तावेज मुद्रित, बेचा, किराए पर दिया, वितरित या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा या किसी भी तरीके से प्रचलन में लाया जाएगाय या

(घ) किसी ऐसे कारोबार में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कोई समाचारपत्र, पत्रिका, परिपत्र, चित्र या अन्य मुद्रित या लिखित दस्तावेज मुद्रित, प्रदर्शित, वितरित, प्रसारित, बेचा, किराए पर दिया, बनाया, उत्पादित, रखा, पहुंचाया या खरीदा गया है। या

(ई) किसी भी माध्यम से यह विज्ञापित करता है या ज्ञात कराता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में लगा हुआ है या लगने के लिए तैयार है जो इस धारा के अंतर्गत अपराध है, या यह कि ऐसा कोई समाचार पत्र, पत्रिका, परिपत्र, चित्र या अन्य मुद्रित या लिखित दस्तावेज जो घोर अशोभनीय या अपमानजनक है या ब्लैकमेल करने के लिए अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है; या

(ङ) कोई ऐसा कार्य करने की प्रस्थापना करेगा या करने का प्रयत्न करेगा जो इस धारा के अधीन अपराध है 'ख्वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा,

परन्तु इस धारा के अधीन द्वितीय या किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह मास से कम और दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 1– इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपमानजनक शब्द के अंतर्गत कोई भी ऐसी बात सम्मिलित समझी जाएगी जो नैतिकता के लिए हानिकारक हो सकती है या किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए प्रकल्पित की गई होः

बशर्ते कि निम्नलिखित के आचरण के संबंध में सद्भावपूर्वक कुछ भी अभिव्यक्त करना अपमानजनक न हो–

(i) किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में या उसके चरित्र के संबंध में, जहां तक उसका चरित्र उस आचरण से प्रकट होता है, न कि उससे आगे; या

(ii) किसी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक प्रश्न से संबंधित, तथा उसके चरित्र के संबंध में, जहां तक उसका चरित्र उस आचरण से प्रकट होता है, उससे आगे नहीं।

स्पष्टीकरण 2– यह विनिश्चय करने में कि क्या किसी व्यक्ति ने इस धारा के अधीन कोई अपराध किया है, न्यायालय को अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देना होगा–

(क) आरोपित व्यक्ति का सामान्य चरित्र, तथा जहां सुसंगत हो, उसके व्यवसाय की प्रकृति;

(ख) कथित विषय का सामान्य चरित्र और प्रमुख प्रभाव घोर अशिष्ट या अपमानजनक या ब्लैकमेल करने के लिए अभिप्रेत है;

(ग) अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से इस धारा में विनिर्दिष्ट किसी कार्य को करने के उसके इरादे के बारे में प्रस्तुत या मांगा गया कोई साक्ष्य।

धारा 293: युवा व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं की बिक्री, आदि

जो कोई बीस वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अश्लील वस्तु बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, प्रदर्शित करेगा या प्रसारित करेगा, अथवा ऐसा करने की पेशकश करेगा या प्रयास करेगा, वह ख्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, और द्वितीय या पश्चातवर्तीदोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

धारा 294: अश्लील कृत्य और गाने

जो कोई भी, दूसरों को परेशान करने के लिए–

(क) किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कृत्य करता है, या

(ख) किसी सार्वजनिक स्थान में या उसके निकट कोई अश्लील गीत, गाथा या शब्द गाएगा, सुनाएगा या बोलेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।,

धारा 295: किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना

जो कोई किसी पूजा स्थल या किसी वर्ग के लोगों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली किसी वस्तु को इस आशय से नष्ट, नुकसान पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा कि उससे किसी वर्ग के लोगों के धर्म का अपमान हो या यह जानते हुए कि किसी वर्ग के लोग ऐसे विनाश, नुकसान या अपवित्रता को अपने धर्म का अपमान समझेंगे, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने, या दोनों से, दंडनीय होगा।

धारा 295–ए: जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है

जो कोई, किसी वर्ग भारत के नागरिकों, की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से, मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, या संकेतों या दृश्य चित्रणों द्वारा या अन्यथा, उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या अपमान करने का प्रयास करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे 148 ख्तीन वर्ष, तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 296: धार्मिक सभा में विघ्न डालना

जो कोई भी व्यक्ति धार्मिक पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन में विधिपूर्वक लगे किसी जनसमूह में स्वेच्छा से विघ्न उत्पन्न करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

इन धाराओं का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि ऐसे किसी भी प्रकाशन की बिक्री, उनका वितरण तथा अश्लील विषयवस्तु का प्रकाशन या अश्लील गाना तथा सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील भाषा का प्रयोग या पुस्तकों की बिक्री या उनका प्रचार अश्लील साहित्य का पर्चा या ऐसा कोई लेख या पेंटिग का कार्य करना या ऐसी अभिव्यक्ति करना जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, ऐसे अपराधों की श्रेणी मे आते हैं। इस संदर्भ में आर. बनाम हिकलिंस में अश्लील प्रकाशन या अश्लील सम्बोधन का मापदण्ड निर्धारित करते हुए यह कहा गया है कि अश्लीलता का मापदण्ड यह है कि जिस वस्तु को अश्लील कहा जा रहा है क्या उसके द्वारा उन लोंगो को भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख किया जा रहा है जिनका मस्तिष्क ऐसे अनैतिक विचारों से प्रभावित होता है और इस प्रकार के प्रकाशन को लेकर पढ़ते हैं? इसी मापदण्ड को डायरेक्टर आफ पब्लिक प्रशिक्यूसन बनाम बाइटे में अपनाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य6 में पहली बार अश्लीलता के मापदण्ड को निर्धारित करने पर विचार किया था। इसमे अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के अन्तर्गत प्रमुख अश्लील पुस्तक डा. एच. लारेंस द्वारा

लिखित ''लेडी चटरलीज लवर'' नामक पुस्तक को बेचने के आरोप में अभियोजित किया गया था। दण्डाधिकारी ने उन्हें अश्लील पुस्तक को बेचने का दोषी पाकर दण्डित किया था। उच्चतम न्यायालय में अपीलार्थी का कहना था कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 292 असंवैधानिक है, क्योंकि इसके द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असीमित निर्बन्धन लगाया गया है और यदि यह धारा वैध भी है तो इस उपन्यास के द्वारा सार्वजनिक नैतिकता का उल्लंघन नहीं होता क्योंकि यह एक कलात्मक कार्य है। अपीलार्थी का यह भी तर्क था कि आपराधिक मामलों में दुराशय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस मामले में अपीलार्थी का कोई दुराशय नहीं था। दूसरे शब्दों में यदि इस धारा के अन्तर्गत विचारण होता है तो इस बात को सिद्ध करना होगा कि अपीलार्थी का दुराशय सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट करना था। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा– 292 वैध है क्योंकि अनुच्छेद– 19(2) के अन्तर्गत स्वयं युक्तियुक्त निर्बन्धन शिष्टाचार एवं सदाचार के आधार पर लगाने का प्रावधान है। न्यायालय का यह भी कहना था कि ऐसे मामलों में लेखक का आशय महत्वपूर्ण नहीं है परन्तु उसका प्रभाव पाठक पर क्या पड़ता है इसके अश्लीलता का मापन होता है। यदि ऐसे साहित्य का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों के मस्तिष्क को अनैतिक प्रभावों की ओर मोड़ना है, जो ऐसे प्रकाशन को पढ़ते हैं तो यह अश्लील कार्य है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जानकारी एवं दुराशय में अन्तर है। धारा 292 में दुराशय की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही अभियोजन को इसे सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है।

इन मापदण्डों को लागू करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि प्रश्नगत उपन्यास अश्लील है और इसे बेचना या इसका प्रदर्शन अपराध है।

किसी भी प्रकार का नाटकों का प्रदर्शन भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक प्रकार है। इस प्रकार के प्रदर्शनों एवं चलचित्रों पर प्रदर्शन पूर्व प्रतिबन्ध लगाना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने के.ए. अब्बास बनाम भारत संघ8 के मामले में विचार व्यक्त किया कि क्या चलचित्र अभिव्यक्ति का साधन है और क्या इस पर प्रदर्शन से पूर्व प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है? इस मामले में के.एस. अब्बास ने उच्चतम न्यायालय में अपनी फिल्म ''टेल आफ फोर सिटीज'' को 'U' सर्टिफिकेट न मिलने पर 1952 के सिनेमेटोग्राफ एक्ट की वैधता को चुनौती दी थी। यद्यपि सुनवाई के दौरान ही सरकार ने उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया था परन्तु न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाना या प्रदर्शन से पहले प्रतिबन्ध लगाना दोनों ही वैध है क्योंकि ये अनु. 19 खण्ड (2) के अन्तर्गत युक्तियुक्त निर्बन्धन है। प्रदर्शन के पूर्व का निर्बन्धन प्रतिबन्ध लगाने का एक पहलू है और वह प्रतिबन्ध लगाने की प्रक्रिया के समान ही फिल्मों के प्रदर्शन पर लागू है। परन्तु ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए जिससे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अयुक्तियुक्त प्रतिबन्ध लग जाय। न्यायालय ने इस सम्बन्ध में कुछ मार्गदर्शन भी निर्धारित किया और लिंग, अवस्था के संदर्भ में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यौनगत सम्बन्ध हमेशा कामोत्तेजना या सार्वजनिक शांति को भंग नहीं करते।

एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम के वाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा प्रदत्त 'यू' सर्टिफिकेट को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि इस फिल्म के प्रदर्शन से लोक शांति को खतरा होगा और हिंसा का वातावरण बनेगा। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को निरस्त कर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यदि फिल्म आपत्तिजनक नहीं है तो अनु. 19 खण्ड (2) के अन्तर्गत इस पर युक्तियुक्त निर्बन्धन नहीं लगाया जा सकता तो मात्र इस आधार पर कि प्रदर्शन होंगे और हिंसात्मक वातावरण बनेगा फिल्म को 'यू' सर्टिफिकेट देने से मना नहीं किया जा सकता। ऐसा करना विधि के शासन की अवज्ञा करना होगा और दबाव के प्रभाव में कार्य करना होगा। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे। इसी आशय का निर्णय एल.आई.सी. आफ इण्डिया बनाम प्रोफेसर मधुभाई शाह तथा फेण्टम फिल्म प्रा.लि. बनाम सेन्ट्रल बोर्ड आफ फिल्म सर्टिफिकेशन में दिया गया। प्रकाश झा प्रोडक्शन बनाम भारत संघ में भी फिल्म के प्रदर्शन को अशांति फैलाने की संभावना पर रोकने को अवैध घोषित किया गया।

न्यायालय में बाबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम ओम पाल सिंह हून एवं अन्य में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत निर्माता के अधिकार की गारंटी केवल इसलिए प्रतिबन्धित नहीं की जा सकती क्योंकि यह समाज की नैतिक प्रणाली के लिए खतरा पैदा करता है।

उच्चतम न्यायालय ने चंद्रकान्त बनाम महाराष्ट्र राज्य में यह स्पष्ट किया है कि अश्लीलता का प्रश्न इस बिंदु पर उत्तरित नहीं होगा कि प्रश्नगत प्रकाशन या प्रदर्शन साहित्यिक मूल्य वाला है या सामाजिक मूल्य वाला है। इसका निर्णय साक्ष्यों एवं प्रबुद्ध जनों के विचार के आधार पर होगा। परन्तु कोई निबन्ध, कहानी या पुस्तक अश्लील है या नहीं, यह मात्र मौखिक साक्ष्यों से निर्धारित नहीं होगा वरन् इस बात से निर्धारित होगा कि वह प्च्ब् की धारा 292 से असंगत है या नहीं।

मुख्य न्यायाधीश तनाका ने यह रेखांकित किया है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह समाज को नैतिक मूल्यों को अवमानित करने से रोके और इस संदर्भ में सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं के अनुसार अश्लीलता का निर्णय करे। विधि एवं न्यायपालिका सदा सामयिक तथा यथार्थताओं के अनुरूप कार्य करें यह संभव नहीं है। उन्हें सामाजिक पैथोलाजी में क्लिनिकल डाक्टर की भूमिका निभानी चाहिए।

विधायी सक्रियता– अश्लील प्रकाशनों एवं दृश्यों को रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 से 294 ब्रिटिश काल में ही अधिनियमित की गयी थी। भारतीय संसद ने 1952 में सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1918 को निरस्त करते हुए सिनेमेटोग्राक एक्ट, 1952 को अधिनियमित किया। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु निम्न है–

यह एक्ट भारत में फिल्मों की सेंसरशिप के लिए वैधानिक आधार बनाता है और एक महत्वपूर्ण विधायी (लेजिस्लेटिव) एक्ट है जो फिल्म उद्योग को नियंत्रित करता है।

एक्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शनियों को पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया जाता है और इसमें शामिल होने वाले लोंगो की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और जनता को अनुचित और आपत्तिजनक फिल्मों से बचाया जाता है।

एक्ट के तहत, सेंट्रल बोर्ड आफ फिल्म सर्टिफिकेशन को प्रत्येक फिल्म की जांच करने और जरूरत पड़ने पर उस प्रतिबंध लगाने और दर्शकों के प्रमाण पत्र प्रदान करने का काम सौंपा गया है।

फिल्में राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। इसके कारण विश्व व्यवस्था के अन्य देशों के साथ, भारत के संबंधों में भी बाधा नहीं आनी चाहिए।

बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। मूल रूप से इन अपीलों पर केन्द्र सरकार द्वारा ध्यान दिया गया था, लेकिन 1986 में एक फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा यह कार्य किया जाने लगा।

सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 को अब तक 1953, 1957, 1959, 1960, 1973, 1981, 1984 और 2017 तक, आठ बार संशोधित किया जा चुका है। भारतीय सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 को बदलने के लिए इसे 1952 में एक बार पूरी तरह से बदल दिया गया था। 2021 और 2023 प्रस्तावित है जो अभी लागू नहीं।

सिनेमा को अश्लील होने से रोकने तथा ऐसी कहानियों जिनका असर अपराध विधि में होता है को गौरवान्वित करने वाले लेखों को रोकने के लिए द यंग पर्सन्स (हार्मफुल पब्लिकेशनस् एडवर्टिज्मेंट एक्ट, 1954), द कस्टम्स एक्ट 1962, द प्रिवेंशन आफ पब्लिकेशन आफ आब्जेक्सनेबल एक्ट, 1976 इत्यादि हैं।

इन सभी अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य है कि किसी प्रकार का शब्द चिन्ह संकेत तथा ऐसे दृश्यों का प्रदर्शन जो सदाचार एवं नैतिकता के विरुद्ध है एवं जिनसे समाज में अश्लीलता को बढ़ावा मिलता हो, की मनाही की गयी है।

न्यायालय में इंटरनेट के युग में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292–294 का संयुक्त पाठ करते हुए फातिमा ए.एस. बनाम केरल राज्य,16 एकता कपूर बनाम मध्यप्रदेश राज्य17 में यह स्पष्ट किया है कि अनु. 19 में जिस भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, यदि वह शिष्टाचार या सदाचार की परिभाषा में आता है तो उस पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाया जा सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि 1952 का सिनेमेटोग्राफ एक्ट तथा 1983 का सिनेमेटोग्राफ रूल्स भारत सरकार के इस सांविधानिक संस्थान को एक व्यापक अधिकार देता है जो आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक फिल्म की जाँच करे और यह देखे कि ऐसी फिल्में राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के विरुद्ध नही है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में यहाँ अश्लील दृश्यों के प्रदर्शन सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले दृश्यों, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले दृश्यों एवं इसी प्रकार के लेखों एवं पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाने को अनु. 19 खण्ड (2) के अनुसार

युक्तियुक्त विवेचन माना है। कहीं अधिकारियों द्वारा मनमानी करने के विरुद्ध भी कदम उठाया है तथा अनेक निर्बन्धनों को अयुक्तियुक्त घोषित कर दिया है।

2023 के सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक में फिल्मों के लिए नई आयु निर्धारित प्रणाली को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है जो निम्नवत है।

– U/A 7+ : माता–पिता या अभिभावक के मार्गदर्शन में 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त फिल्में।

– U/A 13+ : माता–पिता या अभिभावक के मार्गदर्शन में 13 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त फिल्में।

– U/A 16+ : माता–पिता या अभिभावक के मार्गदर्शन में 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त फिल्में।

– यह नवीन वर्गीकरण प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 और श्याम बेनेगल समिति की सिफारिश (2017) के आधारपर स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म के लिए लागू श्रेणीबद्ध आयु वर्गीकरण के साथ संरेखित है।

– टी.वी. एवं अन्य मीडिया के लिए पुनः प्रमाणनः वर्ष 2004 के बाम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् से वयस्क/एडल्ट रेटिंग वाली फिल्मों को टेलीविजन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है।

– जिसके परिणामस्वरूप प्रसारक स्वेच्छा से फिल्मों में कटौती करते हैं और U/A रेटिंग के लिए ब्ठथ्ब से पुनः प्रमाणीकरण की मांग करते हैं।

– यह विधेयक इस प्रथा को औपचारिक बनाता है, जिसके तहत फिल्मों को टेलीविजन और 'अन्य मीडिया' के माध्यम से प्रसारण के लिए पुनः प्रमाणित किया जा सकेगा।

– प्रमाणपत्रों के स्थायी वैधताः इस अधिनियम में संशोधन के माध्यम से ब्ठथ्ब प्रमाणपत्रों की 10 वर्ष की वैधता सम्बन्धी प्रतिबंध को हटाकर उन्हें स्थायी वैधता प्रदान की जा सकेगी।

सन्दर्भ :

1. अनु.– 19(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर (भारत की प्रभुता और अखंडता)) राज्य की सुरक्षा) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों) लोक व्यवस्था) शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय–अवमान) मानहानि या अपराध–उद्दीपन के संबंध में युक्ति

निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से रज्य को निवारित करेगी।

2- 2. (1962) AC 220
3- 3. IPC – 292 -296
4- 4. (1868) 3 QB 360
5- 5. (1972) 3 All E.R. 12
6- 6. AIR 1965 SC 881
7- 7. Charan Singh v. Union of India, AIR, 1961 Punjab 272
8- 8. A.I.R. 1971 SC 481-
9- 9. (1989) 2 SCC 574.
10- 10. (1992) 3 SCC 637
11- 11. (2016) SCC Online Bombay 3862.
12- 12. (2011) 8 SCC 372
13- 13. (1996) 4 SCC 1
14- 14. AIR 1970 SC 1390
15- 15. The Trial of Ledy Chatterley/s Lover.
16- 16. (2020) SCC Online 2827.
17- 17. M.N./M.P./ 1279/2020-